

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *259
03 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र हब

*259. श्री राजबहादुर सिंह:

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश में 75 टेक्सटाइल हब स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो बिहार और असम सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और नया वस्त्र हब/पार्क स्थापित करने में प्रति हब खर्च की जाने वाली अनुमानित राशि क्या है;
- (ख) क्या सरकार हब में वस्त्र निर्माण में टिकाऊ प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए नीति तैयार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से वस्त्रों के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' योजना का विस्तार करने की योजना परिकल्पित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या असम, भारत में सबसे अधिक हथकरघा बुनकरों का हब है और यदि हां, तो असम के हथकरघा और वस्त्र बुनकरों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री राजबहादुर सिंह एवं श्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह द्वारा “वस्त्र हब” के संबंध में दिनांक 03.08.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या *259 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): तिरुपुर की भांति 75 वस्त्र हब की स्थापना करने के लिए वस्त्र मंत्रालय में सुझाव प्राप्त हुआ था। सरकार इस सुझाव की व्यवहार्यता का पता लगा रही है।

(ख): राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के तहत वस्त्रों का सतत विकास करने की श्रेणी में सरकार ने कुछ अनुसंधान प्रस्ताव शुरू किए हैं।

(ग): सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) शुरू किया है। ओडीओपी पहल का प्रचालन ‘डिस्ट्रिक्ट एज़ एक्सपोर्ट हब’ के साथ विलय कर दिया गया है। ओडीओपी पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है जिससे सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक-आर्थिक उन्नति हो सके। इसका उद्देश्य जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके देश के प्रत्येक जिले को एक विनिर्माण और निर्यात हब के रूप में परिवर्तित करना है। राज्य निर्यात संवर्धन समितियों (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) के रूप में संस्थागत तंत्र का गठन 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में निर्यात संवर्धन के लिए सहायता प्रदान करने और जिलों में निर्यात वृद्धि के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए किया गया है।

जिला निर्यात कार्य योजनाओं में स्थानीय निर्यातकों/निर्माताओं को पर्याप्त मात्रा में और अपेक्षित गुणवत्ता के साथ पहचाने गए उत्पादों के उत्पादन/निर्माण में समर्थन करने के लिए आवश्यक विशिष्ट कार्य शामिल हैं। इन योजनाओं में ऐसे पहचाने गए उत्पादों/सेवाओं के निर्यात के लिए चुनौतियों की पहचान करना और उनका समाधान करना, आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार, बाजार पहुंच और वस्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए सहयोग करना शामिल है।

(घ): हथकरघा जनगणना वर्ष 2019-20 के अनुसार, असम राज्य में 12,48,806 हथकरघे और 11,07,428 हथकरघा बुनकर और 1,76,453 संबद्ध श्रमिक हैं। सरकार असम सहित, पूरे देश में हथकरघा के विकास और संवर्धन और हथकरघा बुनकरों के समर्थन और कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है: -

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी);
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)

उपरोक्त योजनाओं के तहत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चे माल, सामान्य बुनियादी ढांचे के विकास, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन, बुनकर मुद्रा ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के समूह विकास कार्यक्रम घटक के तहत वित्तीय सहायता के लिए असम राज्य में 59 हथकरघा समूह शुरू किए गए हैं।
